न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी— श्री नरेन्द्र गुप्ता आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या— 26 / 2022

बउनवान

1. रामप्रकाश आयु 60 वर्ष पुत्र तोलाराम, जाति धाकड़
2. कान्तीबाई आयु 66 वर्ष पुत्री तोलाराम, जाति धाकड
3. अनोख बाई आयु 51 वर्ष पुत्री तोलाराम, जाति धाकड
4. दमयन्ती बाई आयु 46 वर्ष पुत्री तोलाराम, जाति धाकड, निवासी गण मूण्डला तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. नन्दकिशोर आयु 58 वर्ष पुत्र कंवरलाल जाति धाकड
2. नवलकिशोर आयु 51 वर्ष पुत्र कंवरलाल जाति धाकड
3. मुकट बिहारी आयु 46 वर्ष पुत्र कंवरलाल जाति धाकड
4. गोपाल आयु 76 वर्ष पुत्र श्री भंवरलाल, जाति धाकड
5. मोतीलाल आयु 68 वर्ष पुत्र भंवरलाल, जाति धाकड
6. जगदीश आयु 36 वर्ष पुत्र मोतीलाल, जाति धाकड
7. धर्मराज आयु 26 वर्ष पुत्र हंसराज, जाति धाकड
8. माला आयु 28 वर्ष पुत्री हंसराज, जाति धाकड
9. जानकी बाई आयु 40 वर्ष पत्नि हंसराज, जाति धाकड, निवासीगण मूण्डला, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
10. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अटरू, जिला बारां (राज0)

(अप्रार्थीगण)

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज०)

<u>प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा—235 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थितिः— 1. श्री धर्मेन्द्र सिंह चौधरी, अभिभाषक **(प्रार्थीगण)**
2. श्री ललित नागर, अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 4)**
3. श्री बाबूलाल जैन, अभिभाषक **(अप्रार्थी कम 5 ता 9)**

<u>आदेश दिनांक— 30.01.2023</u>

1— प्रार्थीगण की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय उपजिला कलक्टर, अटरू में अप्रार्थीगण 1 ता 3 द्वारा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 4 ता 10 के विरूद्ध शामलाती खाते की आराजी खता संख्या नया 263 की कुल किता 30 कुल रकबा 16.60 है0 भूमि वाके ग्राम मूण्डला तहसील अटरू का राजस्व रेकार्ड अनुसार बटवारा / विभाजन करने हेतु वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 01 / 2017 बउनवान नन्दकिशोर वगैरह बनाम रामप्रकाश वगैरह पेश किया है। उक्त वाद में विवादित [illegible] 263 की कुल किता कुल रकबा 16.60 है0 ग्राम मूण्डला के समस्त संयुक्त खातेदारान पक्ष[illegible] है [illegible]नके द्वारा वाद पत्र का जवाब एवं साक्ष्य पेश की जा चुकी है तथा वर्तमान में [illegible] शेष नही है। उक्त उनवान प्रकरण को वादीगण / अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 [illegible] किया गया हैं ताकि [illegible] वाद की आड में वाद में वर्णित विवादित आराजी में राजस्व रिकॉर्ड अनुस[illegible] प्राप्त हिस्से से अधिक [illegible] कब्जा बनाकर वाद को न्यायालय प्रक्रियाओं में उलझायें रखते हुए, अपनी राजनैतिक पहुंच के आधार पर अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते है जिसका उन्हे कोई हक प्राप्त नहीं है। क्योंकि उक्त आराजी संयुक्त खातेदारी की हैं जिसमें प्रार्थीगण का भी हक व हिस्सा निहित है तथा विभाजन के अभाव में प्रार्थीगण को कई प्रकार की

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:37:15 IST
Reason: SelfAttested

असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा हैं परंतु अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 अपनी राजनैतिक पहुंच के कारण मिली भगत कर उनके द्वारा प्रस्तुत वाद के न्याय निर्णय को प्रभावित कर अपने उद्देश्य की पूर्ति करवाना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में समस्त न्यायिक कार्यवाहियां पूर्ण की जा चुकी हैं परंतु पीठासीन अधिकारी द्वारा जानबुझकर बार–बार तारीख पेशियां प्रदान की जा रही हैं, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद के वादीगण/अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के विरूद्ध शिकायतें उच्च अधिकारियों से की हुई है। प्रार्थीगण को पूर्ण अंदेशा हैं कि अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 उक्त शिकायतों की आड में अनुचित दबाव बनाकर अपने राजनैतिक प्रभाव का उपयोग कर वाद के न्याय निर्णयन को प्रभावित कर सकते हैं इस कारण प्रार्थीगण को उपखण्ड अधिकारी महोदय अटरू से न्याय की उम्मीद नही हे। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय अटरू में विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2017 वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी. एक्ट उनवान प्रकरण नन्दकिशोर वगैरा बनाम रामप्रकाश वगैरा को बारां जिले के किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया तथा पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, अटरू को प्रार्थना पत्र मेमो की प्रति भेजकर बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवायी गयी।

अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 वाबजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। अप्रार्थी क्रम 4 व 5 ता 9 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये तथा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। अभिभाषक अप्रार्थीगण क्रम 4 व 5 ता 9 ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया तथा सीधे बहस करना चाहा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू से बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप सारहीन, तथ्यहीन एवं सरासर गलत हैं। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा न्याय के उद्धेश्य को विफल करने के लिए प्रथम दृष्टया ऐसे सारहीन आरोप लगाये गये है। प्रकरण दिनांक 13.01.2017 से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू में विचाराधीन है। प्रकरण मे दिनांक 29.09.2022 को अन्तिम बहस होनी थी। बहस सुनकर निर्णय पारित किया जाना था। बहस स्तर पर सारहीन आरोपो के आधार पर प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करना प्रथम दृष्टया न्याय को विफल करना है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण को विगत 5–6 वर्षो से न्यायालय की मंशा पर कोई संदेह नही था। लेकिन अन्तिम बहस स्तर पर बिना किसी साक्ष्य के पीठासीन अधिकारी की मंशा पर संदेह करना स्वयं प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की मंशा पर संदेह उत्पन्न करता है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा आरोप लगाया है कि राजनैतिक दबाव में निर्णय प्रभावित हो सकता है। जबकि न्यायालय में स्वतंत्र रूप से पक्षकारान को सुन कर विधिवत निर्णय पारित किया जाता है। न्यायालय में किसी प्रकार का राजनैतिक हस्तक्षेप स्वीकार नही किया जाता है। प्रार्थीगण का बार बार तारीख देने का आरोप असत्य है। प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जा रही है। प्रकरण में दिनांक 10.03.2022 को शेष साक्ष्यवादी पेश नही करने पर साक्ष्यवादी बन्द कर साक्ष्य प्रतिवादी में पत्रावली नियत की गई। स्वंय प्रार्थी/प्र[illegible] जाने पर साक्ष्य प्रतिवादी पेश किये है। जिसके उपरान्त दिनांक 22.09.2022 को पत्राव[illegible] बह[illegible] में नियत की गई है। प्रार्थीगण उक्त वाद को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण क[illegible] न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त बिन्दुवार तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस अप्रार्थीगण 1 ता 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे।

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:37:15 IST
Reason: SelfAttested

दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रार्थी प्रतिवादी है। वादीगण/अप्रार्थी क्रम 1 ता 3 द्वारा उक्त विवादित आराजी में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार प्राप्त हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा बनाकर वाद को न्यायालय प्रक्रियाओं में उलझायें रखकर अपनी राजनैतिक पहुंच के आधार पर अनुचित लाभ प्राप्त करना चाहते है। अधीनस्थ न्यायालय में अप्रार्थीगण द्वारा वाद में समस्त न्यायिक कार्यववाहियां पूर्ण कि जा चुकी हैं परंतु पीठासीन अधिकारी द्वारा जानबुझकर बार–बार तारिख पेशियां प्रदान की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः अधीनस्थ उपखण्ड अधिकारी महोदय अटरू विचाराधीन प्रकरण संख्या 01/2017 वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट उनवान प्रकरण नन्दकिशोर वगैरा बनाम रामप्रकाश वगैरा को बारां जिले के किसी भी सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के आदेश फरमावें। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा विधिक दृष्टांत आरआरटी 2018–19 (Supp.) पृष्ठ संख्या 54 से 55 एवं पृष्ठ संख्या 103 से 104 तथा 2020 (1) आरआरटी पृष्ठ संख्या 256 से 257 तथा 2016 (1) आरआरटी पृष्ठ संख्या 335 से 337 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की छायाप्रतियां पेश की।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थीगण ने प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू से अन्तरित किये जाने का उचित कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नहीं किया है जिससे प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित हो। मात्र निर्णय को विलम्बित करने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र मुन्तकिली में पीठासीन अधिकारी पर जो आरोप लगाये गये हैं उनके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य इस न्यायालय में पेश नहीं किये हैं। फिर भी प्रार्थीगण की आशंका को ध्यान में रखते हुए, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना हम न्यायोचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू में विचाराधीन वाद प्रकरण संख्या 01/2017 अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट उनवान नन्दकिशोर वगैरह बनाम रामप्रकाश वगैरह सुनवाई हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में अन्तरित की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि अनुसार प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें। उभयपक्षकारान न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में वास्ते सुनवाई दिनांक 20.02.2023 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर बारां (राज.)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.02.09 14:57:15 IST
Reason: SelfAttested